न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18 / 2025

अपीलार्थीगण –	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
1. ढोला पुत्र साहु 2. मुबीन पुत्र साहु जाति मुसलमान निवासी ढेम्बा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2024 जो प्रकरण सं. 126 / 2024 में तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी एवं कुमार कौशल जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदात्ता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.06.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. **126 / 2024** सरकार बनाम ढोला वगैरह में पारित निर्णय दिनांक **30.09.2024** के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का **सालारिया** द्वारा तहसीलदार सेड़वा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा **ढेम्बा** के खसरा नम्बर **263 / 119** किस्म **गैर मुमकीन सड़क** में से **0.04** हैक्टर भूमि पर गैर सायलान द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा–काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किए, परंतु गैर सायल द्वारा अपने पक्ष में कोई लिखित सबूत पेश नहीं किया गया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **30.09.2024** के द्वारा **02/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक **07.05.2025** को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष वादग्रस्त भूमि का नाप पुनः करवाने वास्ते निवेदन किया गया परंतु तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का नाप नहीं करवाकर अपीलार्थीगण को अनुपस्थित बताते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2024 पारित किया। हस्तगत प्रकरण में किसी परिवादी गुलामदीन द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दिनांक 10.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक 2024/38 दिनांक 23.01.2024 की पालना में इसी हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच करके एक फर्द मौका वादग्रस्त स्थल की बनाई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "मौके पर जांच करने पर ढोला पुत्र साहु द्वारा निर्माण कार्य खसरा संख्या 262/119 किस्म गैर मुमकीन आबादी में किया जा रहा है।" पटवारी हल्का ने बाद जांच यह पाया है कि अपीलार्थी का कब्जा निर्माण खसरा नंबर 262/119 किस्म गैर मुमकीन आबादी में किया जा रहा है तब केवल दो माह पश्चात् अगस्त 2024 में हस्तगत प्रकरण धारा 91 में अपीलार्थीगण ढोला व मुबीन पिता साहु का कब्जा 20 मीटर X 20 मीटर खसरा नंबर 263/119 गैर मुमकीन सड़क बताकर पर बताकर रिपोर्ट पटवारी पेश किया जाना पूर्णतह गलत एवं किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में रिपोर्ट बनाना साबित होता है। इसके अलावा एक अत्यंत अंतर विरोधी तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि एक नेखमबंदी प्रकरण संख्या 381/2022 एवं 156/2024 में इन्हीं हल्का पटवारी/आर आई द्वारा पैमाईश कर बनाई गई फर्द मौका में अपीलांट ढोला का कब्जा काश्त खसरा नंबर 301/100 व मुबीन का कब्जा खसरा नंबर 304/118 में दर्शाया गया है, जो निजी खातेदारी के खेत हैं। आश्चर्य का विषय है कि अपीलकर्तागण का रहवासी कब्जा इसी हल्का पटवारी द्वारा इसी कालखण्ड में भिन्न–भिन्न

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरों में होना बताया जा रहा है। ऐसे में सिद्ध होता है कि हस्तगत प्रकरण अंतर्गत धारा 91 एल आर एक्ट के प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, वह पूर्ण रूपेण गलत है। ऐसी गलत व झूठी रिपोर्ट पर के आधार पर अफरा तफरी में बिना विधिवत कार्यवाही किए पारित किया गया आलोच्य आदेश विशेष टिप्पणी के साथ निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि हाल ही में अप्रेल माह के अंतिम दिनों मं अकारण ही बिना किसी लिखित सूचना के मौके पर आकर हल्का पटवारी एवं आर आई ने अपीलार्थीगण को धमकी दी है कि आपके विरुद्ध तहसीलदार सेड़वा द्वारा बेदखली के आदेश पारित किया जा चुका है। तब तत्काल ही अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रति कार्यालय तहसीलदार सेड़वा से दिनांक 02.05.2025 को प्राप्त की। ज्ञान की तिथि से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है। सद्भाविक रूप से हुआ विलंब क्षम्य है। इस हेतु पृथक से भी आवेदन अतंर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्त का प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर **263/119** किस्म **गैर मुमकीन सड़क** में से **0.04** हैक्टर भूमि पर अपीलकर्तागण द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी **सालारिया** द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्तागण का कथन है कि उनके द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा के समक्ष वादग्रस्त भूमि का नाप करवाने वास्ते निवेदन किया था और तहसीदार सेड़वा द्वारा उसी दिन उक्त प्रार्थना पत्र को ऑर्डरशीट पर लिया गया परंतु उक्त वादग्रस्त भूमि का नाप करवाए बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निवेदन पर दिनांक 09.09.2024 को उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान/नाप करवाने वास्ते अलग से लिखा जाना बताया है, परंतु तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान/नाप करवाने के साक्ष्य मूल पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि हस्तगत प्रकरण में किसी परिवादी गुलामदीन द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दिनांक 10.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक 2024/38 दिनांक 23.01.2024 की पालना में इसी हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच करके एक फर्द मौका वादग्रस्त स्थल की बनाई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "मौके पर जांच करने पर ढोला पुत्र साहु द्वारा निर्माण कार्य खसरा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संख्या 262/119 किस्म गैर मुमकीन आबादी में किया जा रहा है।" पटवारी हल्का ने बाद जांच यह पाया है कि अपीलार्थी का कब्जा निर्माण खसरा नंबर 262/119 किस्म गैर मुमकीन आबादी में किया जा रहा है तब केवल दो माह पश्चात् अगस्त 2024 में हस्तगत प्रकरण धारा 91 में अपीलार्थीगण ढोला व मुबीन पिता साहु का कब्जा 20 मीटर X 20 मीटर खसरा नंबर 263/119 गैर मुमकीन सड़क बताकर पर बताकर रिपोर्ट पटवारी पेश किया जाना पूर्णतह गलत एवं किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में रिपोर्ट बनाना साबित होता है। इसके अलावा एक अत्यंत अंतर विरोधी तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि एक नेखमबंदी प्रकरण संख्या 381/2022 एवं 156/2024 में इन्हीं हल्का पटवारी/आर आई द्वारा पैमाईश कर बनाई गई फर्द मौका में अपीलांट ढोला का कब्जा काश्त खसरा नंबर 301/100 व मुबीन का कब्जा खसरा नंबर 304/118 में दर्शाया गया है, जो निजी खातेदारी के खेत हैं। आश्चर्य का विषय है कि अपीलकर्तागण का रहवासी कब्जा इसी हल्का पटवारी द्वारा इसी कालखण्ड में भिन्न–भिन्न खसरों में होना बताया जा रहा है। ऐसे में सिद्ध होता है कि हस्तगत प्रकरण अंतर्गत धारा 91 एल आर एक्ट के प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, वह पूर्ण रूपेण गलत है। अधिवक्ता अपीलकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि एक ही पटवारी द्वारा अपीलकर्तागण के मौका कब्जा की तीन अलग–अलग रिपोर्ट पेश की गई है जो कि विरोधाभास की स्थिति पैदा करती है। इससे मुतनाजा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होना स्पष्ट प्रमाणित नहीं हो रहा है। ऐसे में अपीलाधीन कार्यवाही अपूर्ण प्रतीत होती है। फलस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमांड की जाती है कि उक्त प्रकरण में एक कमेटी आपकी अध्यक्षता में बनाकर गैर मुमकिन सड़क एवं आबादी भूमि की पैमाईश पक्षकारान की उपस्थिति में करावें। यदि अपीलकर्तागण आबादी भूमि में निवासरत हैं तो मौके एवं रेकर्ड के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि अपीलकर्तागण सरकारी भूमि पर काबिज हैं तो नियमानुसार बेदखल करने की कार्यवाही अमल में लावें।
9. निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर